मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 59, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक 12001/NR-6/सा.अंके/2012 भोपाल, दिनांक 22/12/2012

प्रति,

1.मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत .... (समस्त) म.प्र.
2.मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत .... (समस्त) म.प्र.

विषयः—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के भौतिक सत्यापन (सामाजिक अंकेक्षण।
संदर्भ :—शासन का पत्र क्र.11191 दिनांक 30.11.2012

——0——

विषयांतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के कार्यों का भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है, प्रक्रिया के इस चरण में भौतिक सत्यापन प्रपत्रों का **वाचन सत्यापनकर्ता द्वारा ग्राम सभाओं में किया जाकर अमिमत** प्राप्त किया जावेगा, तद्नुसार समग्र प्रविष्टि **www.socialaudit.nic.in** में की जावेगी। प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के मद्देनज़र ग्राम सभाओं के आयोजन में निम्नवत व्यवस्था बनाया जाना श्रेयस्कर होगा :—

1. ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम के ही निष्पक्ष एवं सर्वमान्य व्यक्ति के द्वारा की जावे।
2. ग्राम सभा में प्रपत्रों के वाचन उपरांत कार्यवाही का लेखन कार्य ग्राम के ही पढ़े—लिखे अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जावे।
3. ग्राम सभा के लिये नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जावे एवं उसकी उपस्थिति ग्राम सभा में सुनिश्चित की जावे।
4. कार्यवाही विवरण पंजी में ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति नोडल अधिकारी कार्यवाही लेखन करने वाले व्यक्ति तथा सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर अनिवर्यतः प्राप्त किये जावें।
5. ग्राम सभा कार्यवाही विवरण प्रतिवेदन की छायाप्रति जन अभियान परिषद् के विकासखण्ड समन्वयक को अनिवार्यतः उपलब्ध करावें।
6. भौतिक सत्यापनकर्ताओं को प्रपत्र 01 से 12 प्रदान करने के पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत यह सुनिश्चित करलेवें कि उक्त ग्राम/पंचायत में सम्पन्न समस्त कार्यों की प्रविष्टि भलिभॉति पूर्वक की गई है।
7. **भौतिक सत्यापनकर्ता सम्पूर्ण निष्ठा, लगन एवं सम्पर्ण के साथ स्वायत्ता एवं निष्पक्षता से दायित्वों का निर्वहन कर सके, इस हेतु समग्र प्रक्रिया के दौरान उत्साह तथा सम्मान का वातावरण उपलब्ध कराया** जाना **अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।**
8. जनपद पंचायत **इंदौर तथा नलखेड़ा** द्वारा भौतिक सत्यापन प्रक्रिया का योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध **सफल संचालन** किया जा रहा है। आपके जनपद में कार्यक्रम के सफल संचालन के लिये सम्बंधित **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री दीपक राय मो. नं.— 9425955578 एवं श्री जितेन्द्र सेंगर मो. नं.—9425078344** से मशविरा किया जाना लाभपद्र होगा।

<u>विशेष</u> :— भौतिक सत्यापकर्ता को प्रशिक्षण तथा ग्राम आवंटन संबंधित जानकारी संलग्न प्रपत्रानुसार ई—मेल आईडी dsa.nregs@gmail.com में दिनांक 26.12.2012 तक उपलब्ध करावें।

संलग्न :— प्रपत्र उपरोक्तानुसार।

(डॉ. ~~अभय पाण्डेय~~) 22.12.12
संचालक,
सामाजिक अंकेक्षण

पृ.क्र. 12002/ NR-6/सा.अंके/2012 भोपाल, दिनांक 22/12/2012

प्रतिलिपिः—

1. श्री एस.के. मालवीय, संयुक्त आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल की ओर भौतिक सत्यापन कार्य में मॉनीटरिंग के लिये संलग्न समस्त अधिकारियों की ओर सूचित करने हेतु सूचनार्थ।
2. संभागीय उपायुक्त, (विकास) संभाग .... (समस्त 10) की ओर सूनचार्थ।
3. संभागीय प्रबंधक, संभागायुक्त कार्यालय .... (समस्त 05) की ओर सूचनार्थ।
4. निदेशक परियोजना, म.प्र. जन अभियान परिषद्, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

संचालक,
सामाजिक अंकेक्षण 22.12.12

भौतिक सत्यापनकर्ताओं को प्रदत्त प्रशिक्षण एवं ग्राम आवंटन विषयक जानकारी

जनपद पंचायत – .... जिला – ....

प्रशिक्षण दिनांक .... स्थान .... समय .... प्रशिक्षु संख्या ....

प्रशिक्षक का नाम एवं पद 1. ....

2. ....

3. ....

क्र.	सत्यापनकर्ता का नाम	मोबाइल नम्बर	आवंटित ग्राम / पंचायत	भौतिक सत्यापन क्षेत्र भ्रमण		विशेष ग्राम सभा दिनांक	विशेष ग्राम सभा नोडल अधिकारी
				प्रारम्भ तिथि	पूर्णतः तिथि		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत ....
जिला ....